न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

: 15/466

रमजानी आयु 70 वर्ष आत्मज ईदा जी जाति मुसलमान निवासी बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. अजीम आयु 68 वर्ष आत्मज ईदा जाति मुसलमान निवासी बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती मरियम विधवा अजीम ।
   1/2. लाल मोहम्मद पुत्र अजीम ।
   1/3. श्रीमती सुबराती पुत्री अजीम ।
   1/4. श्रीमती गुलशन पुत्री अजीम जाति मुसलमान निवासीगण बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. जुम्मा आयु 60 वर्ष आत्मज ईदा जाति मुसलमान निवासी बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दया कृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक: 08.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली की

नम्बर 2445 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 2848 रकबा 12 बिस्वा एवं 2453 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि के प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री 10.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित लेख दिनांक 12.01.1983 को पंजीयन अनिवार्य होना मानकर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए पक्षकारान की बिना सहमति के ही निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और अपनी सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों।

9. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण दावा एवं प्रतिदावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा